



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली फर्रुखाबाद

#MissionShakti





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना अमृतपुर



#MissionShakti





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलम्बन

समय का साथ
समय का साथ



#MissionShakti

थाना कम्पिल





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



#MissionShakti

थाना जहानगंज





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



GPS Map Cam



#MissionShakti

महिला थाना





फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 28.07.2026



कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा दिनांक 28.07.2026 को गश्त व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग के दौरान एक युवक के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 196/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम इन्द्रजीत पुत्र करनसिंह निवासी ग्राम हरजू नगला कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।



बरामदगी का विवरण :-

01. एक अवैध तमंचा
02. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त इन्द्रजीत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 196/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



*** मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ***

#OperationConviction

दिनांक-28.07.2026

थाना - कम्पिल

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त प्रमोद उर्फ बौना पुत्र रतीराम निवासी ग्राम धर्मपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0- 137/2022 वाद संख्या 90/2022 धारा 363,366,376,504 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)Va,3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय पॉक्सो प्रथम कोर्ट द्वारा दिनांक 28.07.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 12000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री प्रदीप सिंह



को0 मो0 हे0 का0 तेजसिंह



पैरोकार - हे0का0 अमन